



पत्र नहीं मित्र

देशबन्धु



नई दिल्ली, गुरुवार, 23 नवम्बर, 2023 | वर्ष-16 | अंक-228 | पृष्ठ - 10 | मूल्य - 3.00 रुपए

झूठ की मशीन का अभियान
चला रहे शिवराज : कांग्रेस

02: भाष्ट लेखपाल को किया जाए बर्खास्त

फोनरवा चुनावों को लेकर दो पक्षों में खींचतान जारी

04: आतंकवाद अर्थीकार्य नागरिकों की मौत निंदनीय

भारत के कैग संयुक्त राष्ट्र के लेखा परीक्षक...

07: शाहिद कांग्रेस का फैशन सेंस बहुत
कम आंका गया : कृति सैनन

10



रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना

शिकायत दर्ज करने के लिए

<https://cms.rbi.org.in>

पर जाएँ

आरबीआई विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए एकल सुविधा



30 दिनों के भीतर शिकायतों का निवारण न होने या आरबीआई द्वारा विनियमित बैंकों/ एनबीएफसी/ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों/ पेमेन्ट प्रणाली प्रतिभागियों द्वारा संतोषजनक निवारण न होने पर, आप उनकी शिकायत आरबीआई लोकपाल के समक्ष दर्ज कर सकते हैं।



अपवर्जन सूची में उल्लिखित सेवाओं को छोड़कर, अन्य सेवाओं में कमियों से संबंधित सभी शिकायतें शामिल हैं।



ऑनलाइन <https://cms.rbi.org.in> पर या डाक द्वारा केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र, भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ - 160017 पर शिकायत दर्ज करें।



अपनी शिकायत की वास्तविक स्थिति को शिकायत प्रबंधन प्रणाली (<https://cms.rbi.org.in>) पर देखें।

④ अधिक जानकारी के लिए **14448** पर कॉल करें।

समय: कार्यदिवसों पर, राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर:

- हिंदी और अंग्रेजी के लिए सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक
- 10 क्षेत्रीय भाषाओं (असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, मलयालम, ओडिया, पंजाबी, तेलुगु और तमिल) के लिए सुबह 9:30 बजे से शाम 5:15 बजे तक



आरबीआई कहता है...
जानकार बनिए,
सतर्क रहिए!



जनहित में जारी
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in



अधिक जानकारी के लिए, <https://rbikehtahai.rbi.org.in/> पर जाएँ।
फ़िडबैक देने के लिए, rbikehtahai@rbi.org.in को लिखें।

